मय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/328/22 तारीख रजू 29.11.22

बनाम

बदले शीशराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.11.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः उभयपक्षकारान को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 307, 308, 310, 269, 300, 301, 302, 309 वाके ग्राम पिसई तहसील कठूमर की रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 08.12.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 08.12.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	8/12/22

17/7/23	वकील अप्रार्थी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया किन्तु [illegible] एवं अप्रार्थी कौलन 6, 7, 8, का जवाब बन्द किया जाता है एवं अप्रार्थी कौलन-9 जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21/7/23 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
21/7/23	वकील अप्रार्थी पत्रावली पर बहस वकील सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 31/7/23 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
31/7/23	वकील अप्रार्थी अप्रार्थी वकील द्वारा बहस दौरान अपने स्टे प्रार्थना-पत्र में लिखे कथनों को दोहराते हुए स्टे कन्फर्म करने [illegible] प्रति होने वाली क्षति पैसों के सम्बन्ध नहीं सायल को [illegible] बाधा [illegible] [illegible]

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को निवेदन किया गया। गैर सायल सं० 1, 2, 3, 4, 5 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना-पत्र कि तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि सायलान ने अपने प्रार्थना-पत्र में तमाम तथ्य गलत एवं मिथ्या दर्ज कराये हैं व प्रार्थना-पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली [illegible] प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया। वकलाय फरीकेन की बहस सुनी विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सायलान अपने प्रार्थना-पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं न पूर्ति होने वाली क्षति गैर सायल के पक्ष में वजूद साबित है अतः सायलान का प्रार्थना-पत्र साबित ना होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा पत्रावली पर प्राप्त स्थगन आदेश दिनांक 29.11.22 को खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र [illegible] शुमार होकर [illegible] बाद तामील [illegible] दाखिल दफ्तर रहे।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	